न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–10 / 2021(जीसीएमएस नम्बर 2021 / 13)

1. बतोली पुत्री जोहर्या, जाति मीना निवासी ग्राम पाडली, तहसील सिकराय जिला दौसा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामफूल पुत्र रतनलाल **(फौत)**
   1 / 1. राजेन्द्र पुत्र रामफल,
   1 / 2. मोहन पुत्र रामफूल,
   1 / 3. पायलेट पुत्र रामफूल,
   1 / 4. काली पत्नि रामफूल,
2. जयफूल पुत्र रतनलाल,
3. घमलू पुत्र रतनलाल **(फौत)**
   3 / 1. राकेश पुत्र घमलू,
   3 / 2. छोटेलाल पुत्र घमलू,
   3 / 3. धनपति पत्नि घमलू,
4. हरिराम उर्फ पिंटू पुत्र नथ्या,
5. खुशीराम पुत्र नथ्या,
6. कंचनी पत्नि नथ्या, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम पाडली, तहसील सिकराय जिला दौसा।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत करोडी, पंचायत समिति सिकराय, जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री अशोक कुमार जोशी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री प्रदीप कुमार विजय एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 / 1 लगायत 6 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहरात हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 100, 162, 167, 194, 198, 403, 416, 493, 523, 547, 599 कुल किता 11 कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा सर्म्पूण हिस्सा, खसरा नम्बर 601 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 281, 595, 648, 664, 751, 195 / 2 कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 98, 169, 195 / 1, 195 / 2, 199, 404, 409, 410, 418, 495, 573 कुल किता 13 कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 173, 415, 719 / 862, 593 कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 249 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 / 1, 209 / 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 456 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 481, 488, 492, 668, 720, 722, 728, 744, 450, 769,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

P.T.O.

568, 157 की भूमि में मृतक फीक्या का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था तथा उक्त भूमि ग्राम पाडली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उन्होने आगे कथन किया है कि मृतक फीक्या, अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का पितामह था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का प्रपितामह था। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 एवं अपीलान्ट की मौरूसी अविभाजित सम्पत्ति है तथा फीक्या के हिस्से की भूमि पर 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ एक सजरा भी पेश किया जिसके अनुसार फीक्या पुत्र देवबख्श के दो पुत्र जोहर्या व रतनलाल हुए। इस प्रकार फीक्या द्वारा छोड़ी गई समस्त कृषि भूमि का अधिकार 1/2 हिस्से पर जोहर्या व 1/2 पर रतनलाल का था किन्तु फीक्या पुत्र देवबख्श की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई विधिवत जॉच के मृतक फीक्या की विरासत का नामान्तरकरण एक मात्र रतनलाल को ही पुत्र मानकर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये नामान्तरकरण संख्या 99 तस्दीक कर दिया जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में मृतक फीक्या पुत्र देवबख्श की सर्म्पूण आराजी रतनलाल के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् आराजी नथ्या, रामफूल, जयफूल, घमलू पि. रतनलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई जबकि अपीलान्ट मृतक जोहरया का पुत्र है तथा फीक्या की सम्पत्ति में 1/2 हिस्से का हकदार है उसके बावजूद नामान्तरकरण संख्या 99 विधि विरूद्ध रूप से अपीलान्ट को बिना सुने व ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये इकतरफा में रतनलाल को ही फीक्या का पुत्र बताते हुए तस्दीक किया है जो नामान्तरकरण संख्या 99 विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरस्त योग्य था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 99 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ठोस तथ्यों के आधार पर एक अपील पेश कर नामान्तरकरण संख्या 99 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के नाम 1/2 हिस्से का नामान्तारकरण पुनः तस्दीक करने की याचना चाही गई थी तथा उक्त अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 15.06.2015 को निर्णय कर अपीलान्ट को मृतक फीक्या का वारिस मानते हुए पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिया गया था किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया तत्पश्चात् पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु चली और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील को विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरित जाकर खारिज फरमा दिया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि रतनलाल के फौत होने पर उसका नामान्तरकरण उसके वारिसों के नाम दर्ज हो चुका है तथा अपीलान्ट घोषणात्मक वाद लाकर ही अनुमोष प्राप्त कर सकता है जबकि कानूनन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रावधान है कि

नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की जा सकती है तथा अपील में निर्णय किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मृतक फीक्या का वारिस तो माना है किन्तु प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये बिना ही सरसरी तौर पर सम्पूर्ण तथ्यों को देखे बिना ही आदेशिका में मात्र 4 पंक्तियों में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय की तारीफ में भी नही आता है क्योंकि मुख्य विवाद व विषयवस्तु का वर्णन किया बिना अपीलाधीन निर्णय पारित नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.12.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलान्ट की अपील को स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 99 वर्ष 1973 में खुला है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 46 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई थी जबकि उक्त अवधि के दौरान भूमि विवादग्रस्त कई बार ट्रांसफर हो चुकी है जिनके नामान्तरकरण भी खुल चुके है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट वास्वव में फीक्या की वारिस है भी या नही, यह तथ्य तो साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर घोषणात्मक दावे में ही तय होगा इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणात्मक दावे का कहा गया। उन्होने आगे कथन किया है कि 46 वर्ष बाद अपील के माध्यम से नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है जबकि नामान्तरकरण तो सिर्फ एक फिस्कल प्रोसिंडिग्स है जिसके माध्यम से अपीलान्ट के हक हकूक अधिकार तय नही किये जा सकते। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 99 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.11.2013 को पेश की गई थी जो अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2015 द्वारा स्वीकार होकर प्रकरण जॉच कर पुनः विरासत का नामान्तरकरण खाले जाने हेतु तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया गया था जिस निर्णय की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष होने पर उन्होने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2016 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की तलबी में ही होना मानते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना गुणावगुण किये ही प्रकरण अपील का ना होकर घोषणात्मक वाद का मानते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू राजस्व अधिनियम में अपील के प्रावधान व घोषणात्मक दावे के प्रावधान अलग–अलग प्रावधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट

P.T.O.

दिनांक 15.06.2015 में फीक्या के दो पुत्र जोहरया व रतनलाल होना माना है एवं फिक्या की विरासत केवल रतनलाल पुत्र फिक्या के नाम ही नामान्तरकरण संख्या 99 गलत दर्ज होना माना है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने अपीलाधीन निर्णय में फीक्या की विरासत उसके दो पुत्रों जोहरया व रतनलाल के नाम दर्ज न होकर केवल रतनलाल के नाम ही दर्ज होना माना है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण घोषणात्मक वाद की श्रेणी का मानते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2020 एवं नामान्तरकरण संख्या 99 वाके ग्राम पाड़ली तहसील सिकराय पर सरपंच ग्राम पंचायत करोड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.1973 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मृतक फीक्या की विरासत के नामान्तरकरण की पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/24
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।